भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 249
दिनांक 03.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों की जेलों में बंद दोषी भारतीय

249. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री वी. के. श्रीकंदन:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री भोला सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार विदेशों की जेलो में बंद दोषी भारतीय और नागरिकों, कामगारों और महिलाओं सहित विचाराधीन कैदियों का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कैदियों के पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए किसी अन्य देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन अथवा पारस्परिक सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कैदियों को कानूनी सहायता और सहयोग प्रदान करने तथा विदेश में स्थित हमारे उच्चायोग और दूतावासों में कानून प्रणाली को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन देशों के साथ भारत ने अभी तक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) क्या सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें भारतीय कैदियों और विचाराधीन कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने अथवा उन्हें यातना दिए जाने का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 8343 है। इसकी देश–वार सूची अनुबंध–I में दी गई है। तथापि, अनेक देशों में लागू निजता संबंधी सख़्त कानूनों के कारण स्थानीय अधिकारी कैदियों के संबंध में जानकारी तब तक साझा नहीं करते जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति प्रदान नहीं करता। यहाँ तक कि जानकारी साझा करने वाले देश भी आम तौर पर कैद किए गए विदेशियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

(ख) से (च) भारत ने 31 देशों के साथ 'सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण' (टीएसपी) संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 31 देशों की सूची अनुबंध–II में दी गई है। भारत ने विदेश में आपराधिक मामलों में सज़ायाफ्ता व्यक्तियों से संबंधित बहुपक्षीय अंतर–अमेरिकी अभिसमय और सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित यूरोप अभिसमय परिषद को भी स्वीकृति/अनुसमर्थन प्रदान किया है। भारत ने 50 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ की हैं।

विदेशों में कैद भारतीयों को हर संभव कोंसुली सहायता प्रदान करने के अलावा भारतीय मिशन और केंद्र, जहां भी आवश्यक हो, कानूनी सहायता प्रदान करने में भी मदद करते हैं। जहां भारतीय समुदाय अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, वहाँ मिशन और केंद्र द्वारा वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी तैयार किया जाता है। संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा सुविधाएं प्रदान करने लिए किसी भी भारतीय कैदी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है ताकि उपयुक्त मामलों में साधनों के परीक्षण के आधार पर संकटकालीन स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता और प्रत्यावर्तन के दौरान यात्रा दस्तावेज़/हवाई टिकट के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीयों सहित विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए विदेशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखते हैं।

जैसे ही किसी भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लिए जाने/गिरफ्तार करने की सूचना मिलती है, वह हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक तक कोंसुली सहायता पहुँचाने के लिए तत्काल स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है ताकि मामले से संबंधित तथ्यों का पता लगाया जा सके, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा सके और उसका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन से संबंधित मुद्दे को नियमित रूप से संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ उठाते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसुली और अन्य परामर्शों के दौरान भी इस मुद्दे को उठाती है। इसके अलावा, सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों/केंद्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान विदेशों में कैद भारतीय कैदियों को क्षमादान प्रदान करने/उनकी सज़ा को कम करने का मामला भी उठाती है और उस पर आगे की कार्रवाई करती है।

*****

अनुबंध–I

क्र.सं.	देश	विदेशी जेलों में बंद भारतीयों की संख्या
1	अर्जेंटीना	1
2	आर्मीनिया	9
3	ऑस्ट्रेलिया	81
4	ऑस्ट्रिया	8
5	अज़रबेजान	4
6	बहरीन	265
7	बांग्लादेश	60
8	बेलारूस	2
9	बेल्जियम	7
10	भूटान	68
1 1	ब्रूनेई दारुस्सलाम	3
12	बुल्गारिया	3
13	बुर्किना फासो	1
14	कंबोडिया	1
15	कनाडा	23
16	चिली	1
17	चीन	170
18	कांगो (किंशासा)	8
19	कांगो (ब्राज़ाविली)	1
20	कोटे डी' आइवर	8
21	क्यूबा	1
22	साइप्रस	51
23	डेनमार्क	3
24	मिस्र	1
25	फ़िजी	1
26	फ्रांस	29
27	जर्मनी	66

28	घाना	1
29	यूनान	22
30	हंगरी	6
31	इंडोनेशिया	21
32	ईरान	16
33	इज़राइल	9
34	इटली	156
35	जापान	5
36	जॉर्डन	30
37	केन्या	3
38	कुवैत	428
39	किर्गिज़स्तान	1
40	लाओस	2
41	लेबनान	5
42	मेडागास्कर	3
43	मलावी	1
44	मलेशिया	606
45	मालदीव	1 1
46	मॉरीशस	10
47	मेक्सिको	1
48	मोरक्को	1
49	मोज़ाम्बिक	6
50	म्यांमार	21
51	नेपाल	1222
52	नाइजीरिया	18
53	ओमान	92
54	पाकिस्तान	51
55	फिलीपींस	35
56	पुर्तगाल	10

57	कतर	682
58	कोरिया गणराज्य	2
59	रोमानिया	8
60	रूस	13
61	रवांडा	4
62	सऊदी अरब	1362
63	सेनेगल	4
64	सर्बिया	4
65	सिंगापुर	71
66	स्लोवाकिया	1
67	दक्षिण अफ्रीका	6
68	दक्षिण सूडान	1
69	स्पेन	40
70	श्रीलंका	22
71	स्वीडन	2
72	तंज़ानिया	3
73	थाईलैंड	21
74	टोगो	2
75	युगांडा	2
76	संयुक्त अरब अमीरात	1926
77	यूनाइटेड किंगडम	226
78	यूएसए	264
79	उज़्बेकिस्तान	1
80	वियतनाम	3
81	यमन	1
82	ज़िम्बाब्वे	3
	कुल	**8343**

देश/क्षेत्र जिनके साथ भारत ने सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण (टीएसपी) के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए हैं

क्र.सं.	देश/क्षेत्र
1	ऑस्ट्रेलिया
2	बहरीन
3	बांग्लादेश
4	बोस्निया और हर्जेगोविना
5	ब्राज़ील
6	बुल्गारिया
7	कंबोडिया
8	मिस्र
9	एस्तोनिया
10	फ्रांस
11	हांगकांग
12	ईरान
13	इज़राइल
14	इटली
15	कज़ाखस्तान
16	कोरिया
17	कुवैत
18	मालदीव
19	मॉरीशस
20	मंगोलिया
21	कतर
22	रूस
23	सऊदी अरब
24	सोमालिया
25	स्पेन
26	श्रीलंका

27	थाईलैंड
28	तुर्की
29	संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
30	यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड
31	वियतनाम

*****